संख्या- 38 /2018 / 589 /चार-2018 - 35 (वि0)/ 2018

प्रेषक,

लुटावन राम
उप सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 19 मार्च, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में संस्कृति विभाग की संस्थाओं द्वारा सेमिनार, कार्यशाला एवं डाक्यूमेन्टेशन , प्रदर्शनी एवं पुस्तक के प्रकाशन हेतु प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3358/ सं0नि0-कल्चरल मैपिंग/2017-18 दिनांक 28 फरवरी, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में संस्कृति विभाग की संस्थाओं द्वारा सेमिनार, कार्यशाला एवं डाक्यूमेन्टेशन , प्रदर्शनी एवं पुस्तक के प्रकाशन हेतु रू0 18.91 लाख की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त हेतु रू0 18.91 लाख (रूपये अटठारह लाख इक्यानबे हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/ उपयोग नियामानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा सम्पन्न कराये गये कार्यक्रमों पर व्यय विवरण , बिल बाउचर्स आदि नामित नोडल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त धनराशि हेतु रू0 18.91 लाख (रूपये अटठारह लाख इक्यानबे हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92- के अधीन लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति -800-अन्य व्यय-11-कला एवं संस्कृति की शिक्षा,लोक परम्पराओं का वीडियों अभिलेखीकरण, योग्य छात्रों एवं वृद्ध कलाकारों को आर्थिक सहायता योजना-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,
(लुटावन राम)
उप सचिव

संख्या- /2018/ 589 /चार-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(लुटावन राम)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/